जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

96/15

मुन्तकिली प्रकरण सं0 96/2015 अनवानी बनवारी पुत्र श्री मकनीराम जाति कुम्हार निवासी चक 4 के.एस.एल. तहसील सूरतगढ बनाम 1. उपखण्डाधिकारी सूरतगढ़ श्री रामचन्द्र पोटलिया सूरतगढ 2. सराज खां पुत्र श्री सैयद खा जाति मुसलमान निवासी चक 4 के.एस.एल. उदयपुर तहसील सूरतगढ 3-राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.05.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री विजय रेवाड़ उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 सराज खां के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सराजखां के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित प्रकरण संख्या 239/2015 अनवानी सराज खां बनाम बनवारी वगैरा धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित प्रकरण संख्या 239/2015 अनवानी सराज खां बनाम बनवारी वगैरा धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

936
18-5-16

आदेश आज दिनांक 11.05.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर